

[Shri Eduardo Faleiro]

The plant, which employed 536 skilled and semi-skilled personnel, finally closed down in 1981-82. The repercussions of the closure, and that too in the core sector, have resulted in laying off 350 workers. The employees have now come forward with a package deal and urged the Government of India to salvage the venture. It is learnt that the Government of India is going ahead with an even bigger pelletisation plant at Kudremukh in Karnataka. The contention of the employees is that if the economics and feasibility of the pellet-making process cannot be solved in Goa, how can that be tried in Kudremukh. I, therefore, urge the Government of India to provide a durable and dependable solution to this matter.

12.37 hrs.

(MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*)

(iv) **Shortage of Indane gas in Tamil Nadu and need for direction to I.O.C. to ensure regular supply**

SHRI ERA MOHAN (Coimbatore) : Nearly 70,000 consumers of Indane Gas in Coimbatore, Periyar, Salem and Nilgiris districts of Tamil Nadu, are suffering for the last four months due to acute short supply of Indane gas. This contagion of short supply of Indane gas is slowly but steadily spreading to other parts of Tamil Nadu State.

When it is being publicised that gas production has gone up, the availability of gas in Tamil Nadu is getting reduced day by day. The Indian Oil Corporation must be directed to ensure regular supply of Indane Gas to Tamil Nadu and to rush supplies immediately to meet the current crisis.

(v) **Incentive for States which implement family welfare schemes effectively**

SHRI S.T.K. JAKKAYAN (Periyakulam) : Point No. 13 in the Prime Minister's 20-Point Programme is about the family welfare schemes. The family welfare schemes are being effectively implemented by the Government of Tamil Nadu, and the

Prime Minister herself has accepted that Tamil Nadu is occupying number one position in controlling the population explosion.

In 1983-84 the target fixed for vasectomy and tubectomy operations was 3,90,000 and the target achieved was 4,90,000.

Instead of getting the incentive for containing the population explosion, the State of Tamil Nadu has been penalised. The State of Tamil Nadu has lost two Parliamentary seats in the Lok Sabha because of reduction in its population. Similarly, Tamil Nadu gets lesser amount of Central grants because the quantum of grants and loans is fixed on the basis of population.

In order to ensure enthusiastic implementation of family welfare schemes, the two Parliamentary seats for Tamil Nadu should be restored by suitable amendment of the Representation of the People Act and the total population of the country should be the criterion for sanctioning grants and loans to States. The States which have not only contained population explosion but also reduced the population should in proportion be given more financial assistance.

(vi) **Need to increase production of life saving drugs in the country and further research on them**

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष जी, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है कि देश में जीवन रक्षक दवाइयों का पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पा रहा है और न ही बहुराष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय दवा कम्पनियां दवा उत्पादन बढ़ाने तथा अनुसंधान कार्य में दिलचस्पी ले रही हैं। निजी क्षेत्र एवं बहुराष्ट्रीय कम्पनियां तो अनुसंधान कार्य पर बिक्री-कर के दो प्रतिशत से ऊपर व्यय भी नहीं करती। इस कारण मलेरिया, श्वास रोग, संक्रामक रोग और कृमि रोगों के उपचार में काम आने वाली पांच जरूरी दवाओं, क्लोरोक्वीन, प्रीमाक्वीन, टेट्रासाइक्लीन, आक्सी-टेट्रासाइक्लीन और पिपेराजीन के बारे में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा प्रबन्ध विकास संस्थान के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइंस टेक्नालॉजी एण्ड

डेवलपमेंट द्वारा काफी ध्यान दिया गया है और अपने एक अध्ययन में इनके उत्पादन को बढ़ाने एवं अनुसंधान पर जोर देने के लिए कहा है। इसके अनुसार अनुसंधान की बेहतर प्रक्रिया विकसित करने की नितान्त आवश्यकता है।

अतः माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से साग्रह निवेदन है कि वे इन जीवन रक्षक औषधियों के उत्पादन को बढ़ाने तथा अनुसंधान की कार्यवाही को विकसित करने के लिए बहुराष्ट्रीय एवं निजी क्षेत्र की दवा कम्पनियों से अनुबंध करा करके ही उसे लाइसेंस आदि तथा अन्य सुविधायें प्रदान करें। यदि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है, तो उससे सदन को अवगत कराने का कष्ट करें एवं सख्ती बरतने पर गौर करें।

(vii) Need for a legislation to provide Compensation to those kept in jails for a period larger than pronounced by courts

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर): उपाध्यक्ष जी, न्यायालय के आदेश के बावजूद भी विभिन्न जेलों में सजा-अवधि से काफी अधिक दिनों तक कैदियों के रखे जाने के समाचार मिल रहे हैं। काफी निर्दोष लोगों को भी पैसा एवं पैरवी के कारण जेल की यातनायें सहनी पड़ती हैं। संसार के दूसरे भागों की तुलना में भारत में आदमी एवं जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। गरीब का जीवन तो कीड़े एवं जानवर से भी बदतर है। जिस मुकदमे में एक दिन की न्यायालय द्वारा सजा नहीं दी जाती उसी मुकदमे में कई सालों तक जेल की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। इन कुव्यवस्थाओं के तीन कारण हैं। एक तो महंगा न्याय तथा दूसरा न्याय मिलने में विलम्ब। तीसरा कारण है सरकार को कोई हरजाना नहीं देना पड़ता है।

अतः सरकार से मांग है कि यदि किसी व्यक्ति को बिना वजह जेल में रखा जाता है या सजा की जितनी अवधि है उससे अधिक अवधि तक रखा जाता है तो सरकार उस व्यक्ति को हरजाना दे। इसके लिए सरकार संसद में विधेयक भी प्रस्तुत करे। सरकार से यह भी मांग है कि वह मुफ्त न्याय एवं जल्द न्याय की व्यवस्था करें।

(viii) Need for strict implementation of Constitutional provisions for reservation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Schools/Colleges and jobs.

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): उपाध्यक्ष जी, देश में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए घोषित सरकारी आरक्षण नीति को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी नौकरियों में घोषित आरक्षण की सुविधा से वंचित हैं। उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं की जा रही है। सरकारी सेवाओं में वर्ग एक दो, तीन और चार के लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति नहीं की जा रही है। ऐसी विषम परिस्थिति में उस पर दोहरी मार पड़ती है। आम लोगों की धारणा है कि उसे विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं और वस्तुस्थिति यह है कि उसे तथाकथित विशेष सुविधायें नहीं मिल रही हैं। शिक्षा में आरक्षण प्रवेश के लिए है न कि परीक्षा के मूल्यांकन में है। प्रवेश में आरक्षण का कारण उसकी सामाजिक और आर्थिक दोनों ही विषम स्थितियां हैं। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से प्रवेश का आधार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है। इसके लिए भी उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति ही तो कारण है। स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का आरक्षण नहीं किया गया है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से साग्रह है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए संवैधानिक आरक्षण नीति को पूरे तौर पर क्रियान्वित करने के लिए सक्षम कानून बनाया जाये।

(ix) Damage to sugarcane crop by insects in various parts of the country and need for immediate measures to save the crops.

श्री रामलाल राही (मिसरिख): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अंतर्गत मैं सदन और